

न्यायालय अति०जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक:-

11 / 2015
04.09.2015

बजरंगलाल पुत्र कालूराम जाति जागिड,खाती निवासी भावलपुर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

..... प्रार्थी

बनाग

- 1-बालू पुत्र जुवारा जाति जाट निवासी भावलपुर,तिलाजू तहसील मालपुरा जिला टोंक
- 2-रामधन पुत्र लादू जाति जाट निवासी भावलपुर,तिलाजू तहसील मालपुरा जिला टोंक
- 3-ग्राम पंचायत तिलाजू पंचायत समिति मालपुरा जरिये सारपंच

..... प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज० पंचायत अधि० विरुद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति मालपुरा दिनांक 19.12.2014

उपस्थित: (1) श्री जितेन्द्र जैन, अग्निभाषक अपीलान्त
(3) श्री श्याम सुन्दर विजय, अभिभाषक रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार है कि प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2014 से ग्राम पंचायत तिलाजू पंचायत समिति मालपुरा द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में दिनांक 06.03.1991 को जारी आवादी भूमि के पट्टे को निरस्त किये जाने पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोजेण्ट्स की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि० एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अग्निभाषक निगरानीकर्ता ने दोराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को विधिवत रूप से नोटिस नहीं दिया गया है और ना ही साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोजेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों को पेशकर एक तरफा निर्णय पारित करवाया है। प्रशासन एवं स्थापना समिति व पंचायत समिति मालपुरा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.12.2014 एवम् वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से चलने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के हक में पारित किया गया पट्टा दिनांक 06.03.1991 बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पोजेण्ट सं. 1 व 2 ने बिना किसी अधिकार व बिना किसी कारण के केवल राजनीतिक रंजिश के कारण प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये पट्टे दिनांक 06.03.1991 के विरुद्ध वर्ष 2014 में जाकर पंचायत समिति मालपुरा के समक्ष अपील पेश की है जिसे धारा 5



बतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रा. पत्र प्रस्तुत नहीं किया विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त, रान्तोपप्रद कारण प्रस्तुत नहीं किये तथा बिना किसी कारण के पंचायत समिति ने 24 वर्षों बाद जाकर मियाद के विन्दू को नजर अन्दाज करते हुए पट्टे को निरस्त कर दिया जिसमें यह आज्ञापक प्रावधान है कि मियाद बाहर किसी भी याचिका/अपील में सर्वप्रथम मियाद का प्रश्न निर्धारित किया जावे परन्तु पंचायत समिति ने इस कानूनी विन्दू पर ध्यान नहीं दिया एवं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए विलम्ब को माफ किये बिना पट्टा निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो कानून के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है।

पंचायत समिति की स्थायी समिति ने व सम्पूर्ण कोरम ने मौके की जांच कर कोई रिपोर्ट तलब नहीं की जिससे निर्णय व आदेश गलत साबित हुआ है तथा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी पट्टे के अनुसार विवादित भू-खण्ड पर वर्षों से काबिजा चला आ रहा है और उपभोग कर रहा है स्थायी समिति ने यह निर्णय दिया है कि दो वर्ष में निर्माण करना चाहिए था, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि ऐसा कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति दो वर्ष में निर्माण कार्य करे, अपनी परिस्थिति के अनुसार भू-खण्ड पर कच्चा व पक्का व्यवस्था करके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है तथा उस पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि वह दो वर्ष में ही निर्माण कार्य पूर्ण कर ले। इस प्रकार पंचायत समिति ने अवैध तरीका अपनाकर निर्णय/आदेश पारित करा दिया। मौके पर गत 25 साल से भी अधिक समय से प्रार्थी का कब्जा है, भू-खण्ड पर चारों तरफ बाड़ लगा रखा है तथा निर्माण सामग्री रखी हुई है जो मौके पर मौजूद है विवादित भू-खण्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दावा चल रहा है जिसमें टी. आई. जारी है इस कारण भी पंचायत समिति को निर्णय देने का अधिकार नहीं था परन्तु उन्होंने अपनी शक्तियों का सरासर दुरुपयोग करते हुए प्रार्थी का पट्टा निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण का भी निगरानीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया है। निर्णय में रास्ते का अंकन नहीं है। सिविल कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट में रास्ता अलग बताया है। पट्टा भूमि अलग है। प्रार्थी ने किसी प्रकार नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा पट्टे शुदा भूमि किसी प्रकार भावलपुर से डूंगरीकला जाने वाली रास्ते की भूमि नहीं है तथा रास्ता किसी प्रकार अवरुध नहीं है चल्कि आवादी में है परन्तु रेस्पोजेन्ट ने रंजिश के कारण कार्यवाही करवायी है जो चलने योग्य नहीं है। रेस्पोजेन्ट द्वारा की गयी अपील अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित कर भारी गूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी सूरत में स्टैण्ड रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2014 को निर्णय पारित किया गया है, उक्त निर्णय को चैलेज दिनांक 04.09.2015 को किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के साथ मौका निरीक्षण का नक्शा संलग्न है। जिसमें अंकित है कि पक्षकारान को सूचना दी गई है। उक्त पट्टे संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भंगवाकर उक्त पट्टा निरस्त किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में दो वर्ष में निर्माण कार्य करने का उल्लेख है। मौके पर निर्माण कार्य नहीं है। सिविल कोर्ट की मौका रिपोर्ट में भी रास्ता का उल्लेख है। पट्टे की भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है।



विवरित जिला कलेक्टर
टॉक

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गहन किया तथा अपीलधीन आदेश से संबंधित पत्रावली का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत तिलाजू पंचायत समिति मालपुरा द्वारा दिनांक 06.03.1991 को बजरंग लाल पुत्र कालूराम जाति खाती निवासी भावलपुर को पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध प्रशासन एवं वित्त स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा के रागक्ष अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2014 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत तिलाजू के आदेश को निरस्त किया गया है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता का कथन है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों को पेशकर एक तरफा निर्णय पारित करवाया है। प्रशासन एवं वित्त स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2014 पारित करने से पूर्व अपीलाट को किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है और न ही सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा सरस्ते की भूमि पर अपीलाट को पट्टा जारी किया गया है जो गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रस्ताव व विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलाट के हक में ग्राम भावलपुर में ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा दिनांक 06.03.1991 को पट्टा जारी किया गया है। अपीलाट के हक में ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा जारी पट्टा दिनांक 06.03.1991 के विरुद्ध रेस्पोंडेंट द्वारा पंचायत समिति मालपुरा में अपील प्रस्तुत करने पर पंचायत समिति मालपुरा द्वारा अपीलाट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के साथ मौका निरीक्षण का नक्शा संलग्न है जिसमें लिखा है कि दोनों पक्षों को सूचना दी गई है, परन्तु उक्त नक्शे पर अपीलाट के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा न ही मौका निरीक्षण की सूचना संबंधी नोटिस संलग्न है। इससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को नोटिस नहीं दिया गया और न ही समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उसके विरुद्ध कोई आदेश/निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचन के मध्यमजर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना सिर्फ इसी विन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.2014 को अपास्त कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति मालपुरा का निर्णय दिनांक 19.12.2014 निरस्त कर प्रकरण को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई/साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। पत्रावली पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



25-3-21
अति.जिला कलकत्ता-1
लोक